

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2256

दिनांक 12/10/2022

प्रार्थीगण :-

1. जेताराम 2. वीरमाराम पि. मेहाराम,
जाति जाट, निवासी खारिया डेर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. उम्मेदाराम 2. हीराराम पि. रूपाराम 3. फूसाराम पुत्र देरामाराम
4. हेमाराम पुत्र देवाराम 5. चुतराराम पुत्र देरामाराम के का.मु. :-
जोगाराम, हरलाल पि. चुतराराम (हरलाल ना. लि. वलि जोगाराम)
6. भारूराम पुत्र देरामाराम के का.मु. :- हड़मानराम पुत्र भारूराम
7. कलाराम पुत्र लालाराम के का.मु. :- अमरा पुत्र कलाराम
8. खीमाराम पुत्र पेमाराम 9. बगताराम 10. वीरमाराम 11. पेमाराम पि.
केहराराम 12. मीरो बेवा केहराराम 13. कलाराम 14. राजूराम
15. नानगाराम 16. सोनाराम पि. रूखमणाराम 17. मेगाराम 18. राउराम पि.
प्रहलादराम 19. राउदेवी पत्नि हेराजराम 20. चूनाराम पुत्र पुरखाराम
21. रामाराम पुत्र ठाकराराम, जाति जाट, निवासी खारिया डेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 357/2018

दिनांक : 12.10.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 103 रकबा 163.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2257 to 2260
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जेताराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण उम्मेदाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

—St—
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन OK

दिनांक 12/10/2022

(भागीरथ सिन्हा)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन